# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 169/2017 दायरा दिनांक : 11.08.2017**

**उनवान**

श्रीमती बसंती बाई पुत्री श्री मांगीलाल जी पत्नी श्री घासीलाल जी, जाति माली, निवासी गोपाल कालोनी नयापुरा बारां, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

**बनाम**

1– रामस्वरूप आत्मज श्री घासीलाल जी, जाति माली, निवासी गोपाल कालोनी नयापुरा बारां, तहसील बारां, जिला बारां

2– दी स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार, बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित –श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय दिनांक : 25.01.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 51/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाद पत्र में वर्णित ग्राम गोपालपुरा, तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 115, 262, 273, 301, 302, 313, 489 कुल 7 किता की 3.11 हेक्टर भूमि वादिनी के पिता श्री मांगीलाल जी के खाते एवं कब्जे की भूमि थी । वादिनी अपीलांट स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी की एक मात्र वारिस पुत्री है । प्रतिवादी नम्बर 1 रामस्वरूप द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलकर उक्त भूमि गलत तौर से अपने नाम दर्ज करा ली गयी है, जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं था । दिनांक 19.04.1977 अथवा कभी भी श्री मांगीलाल जी ने रेस्पोडेंट नम्बर 1 रामस्वरूप के पक्ष में न तो कोई वसीयत की और न ही कोई तहरीर की है । अधीनस्थ न्यायालय ने स्वर्गीय मांगी लाल द्वारा रेस्पोडेंट नम्बर 1 रामस्वरूप के पक्ष में वसीयत होना मानकर दावा वादिनी खारिज किया है, जबकि मांगी लाल द्वारा रामस्वरूप को कभी भी गोद नहीं लिया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए वादिनी को उपरोक्त विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में 2009 (1) आर. आर. टी. पेज 685 एस. सी., 2003 (1) डी. एन. जे. राजस्थान पेज 111 व 2016 (1) डी. एन. जे. राजस्थान पेज 205 पेश की गई जिसमें वसीयत रजिस्टर्ड होने का मतलब यह नहीं होता है कि वसीयत को साबित करने से मुक्त कर दिया जावे । अतः वसीयत को साबित किया जाना आवश्यक है । उपरोक्त वसीयत चूंकि साबित नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर जो निर्णय पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रामस्वरूप बसन्ती बाई अपीलांट का ही पुत्र है एवं रामस्वरूप को उपरोक्त जमीन वसीयत से प्राप्त हुई है, जिसको जिरह में स्वयं बसन्ती बाई द्वारा सहमति भी दी गई है । वर्ष 1994 में उपरोक्त विवादित आराजी रामस्वरूप के नाम दर्ज हो गई । इतने लम्बे समय पश्चात उक्त आराजी में अपीलांट द्वारा अपील मेंटेनेबल नहीं होने से खारिज की जावे । वकील रेस्पोडेंट द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ए. आई. आर. 2000 एस. सी. पेज 1908 जिसमें पुत्र को अपने पिता की सम्पत्ति में हक पिता की मृत्यु के उपरान्त ही प्राप्त हो सकते हैं । इसी प्रकार आर. बी. जे. 2016 एस. सी. पेज 1 प्रस्तुत की गई । आर. बी. जे. 2003 एस. सी. पेज 597 पेश की गई तथा डी. एन. जे. 2014 (1) पेज 88, डी. एन. जे. 2011 (2) पेज 456 एस. सी. पेश की गई जिसमें यह बताया गया कि स्वीकृत तथ्यों की अन्य साक्ष्य से पुष्टि आवश्यक नहीं है ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । मांगी लाल उपरोक्त विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार थे । मांगी लाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 19.04.1977 को अपनी आराजी का उत्तराधिकारी रामस्वरूप का घोषित कर दिया गया था । मांगीलाल की मृत्यु दिनांक 08.09.1992 को हुई है । उपरोक्त विवादित आराजी जरिये वसीयत वर्ष 1994 को रामस्वरूप के हक में निष्पादित हो चुकी है । यद्यपि बसन्ती बाई मांगी लाल की एक मात्र वारिस होना सिद्ध है, परन्तु पुत्री को पिता की सम्पत्ति में अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही निहित है, जब कि उपरोक्त विवादित आराजी मांगी लाल के द्वारा अपने जीवनकाल में ही रेस्पोडेंट के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित कर दी गई थी । रजिस्टर्ड वसीयत एक वैध दस्तावेज है । पत्रावली में एक इकरारनामा बसन्ती बाई का सलंग्न है जिसमें उपरोक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड वसीयत अपने पुत्र रामस्वरूप के पक्ष में निष्पादित किया जाना स्वीकार है । इस प्रकार अपीलांट को उपरोक्त तथ्यों

के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी थी एवं रेस्पोडेंट उपरोक्त आराजी के वैध खातेदार काश्तकार है । अपीलांट अपने तथ्यों की पुष्टि नहीं कर सके हैं । केवल मौखिक रूप से कह देने से मांगी लाल द्वारा रेस्पोडेंट के पक्ष में कोई वसीयत नहीं की गई थी, मान्य नहीं है । वर्ष 1994 के बाद अपीलांट द्वारा कभी भी नामान्तरकरण को चेलेन्ज नहीं किया गया है एवं वर्ष 1994 से आज दिनांक तक अपीलांट को उपरोक्त तथ्य की जानकारी होने के बावजूद रजिस्टर्ड वसीयत को भी किसी न्यायालय में Challenge नहीं किया गया । अतः अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों को आधार बनाकर दावा एवं अपील पेश की गई है, जो अपीलांट के कथनों को सिद्ध नहीं करते हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई है । दोनों पक्षों की साक्ष्य ली गई है तथा सम्पूर्ण दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की कोई विधिक एवं कानूनी त्रुटि नहीं पाते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा